

छत्तीसगढ़ शासन

वन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

क्रमांक एफ-५-२०/२०१७/१०-२
प्रति,

रायपुर, दिनांक २५/०५/२०१७

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
छ.ग. रायपुर ।

विषय:- आवेदनकर्ता महाप्रबंधक, रिलायंस जियो इंफोकाम लिमिटेड रायपुर द्वारा कोरबा जिले के कोरबा वनमंडल अंतर्गत कोरबा से बताती तक आप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने के गैर वानिकी कार्य हेतु ०.६५० हे. वनभूमि के वन संरक्षण अधिनियम १९८० के तहत प्रत्यावर्तन प्रस्ताव ।

संदर्भ:- १. भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दि. ८.४.०९
२. भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क्र. /F No.-5-3/2007-FC दि. ५.२.०९
३. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) का पत्र क्र./भू-प्रबंध/विविध/115-653/937 रायपुर दिनांक ०१.०४.२०१७ ।

—००—

कृपया संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें, जिसमें आपके द्वारा प्रश्नाधीन प्रकरण में प्रथम चरण स्वीकृती प्रेषित करने की अनुशंसा कि गई थी ।

आपके प्रस्ताव पर भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क्र. F No.-11-9/98/FC दि. ०८.०४.०९ तथा पत्र क्र./F No.-5-3/2007-FC दि. ०५.०२.०९ में निहित प्रावधानों के अंतर्गत विचारोंपरांत राज्य शासन एतद् द्वारा कोरबा जिले के कोरबा वनमंडल अंतर्गत कोरबा से बताती तक संरक्षित वनभूमि का ०.३५८ हे., आरेंज एरिया ०.११४ हे. तथा राजस्व वन भूमि ०.१७८ हे. कुल ०.६५० हे. वन भूमि में भूमिगत आप्टिकल फाइबर केबल लाईन बिछाने हेतु महाप्रबंधक, रिलायंस जियो इंफोकाम लिमिटेड रायपुर को वन भूमि उपयोग पर देने हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सैद्धांतिक स्वीकृति दी जाती है :-


- वन भूमि का वैधानिक स्वरूप अपरिवर्तित रहेगा ।
- प्रस्ताव में उल्लेख के अनुसूच ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन का मार्ग संरेखित किया जायेगा तथा मार्ग परिवर्तित नहीं की जावेगी ।
- ऑप्टिकल फायबर केबल लाईन बिछाने हेतु वृक्ष नहीं काटे जायेंगे ।
- उपरोक्त लाईन बिछाने हेतु खन्नि की अधिकतम चौड़ाई ०.५० मीटर तथा गहराई २.०० मीटर होगी । वन्यप्राणी तथा बायोडायवर्सिटी को नुकसान न पहुंचें इसे ध्यान में रखकर स्थानीय वनाधिकारी की निगरानी में बिना मशीनों का उपयोग किये मजदूरों के द्वारा खन्नि को खोदा तथा उपयोग उपरांत आवेदक द्वारा स्वयं के खर्च पर भरकर समतल किया जावेगा ।
- स्थल पर कार्य करने की तिथियों को आवेदनकर्ता द्वारा वनमंडलाधिकारी को पूर्व से सूचित करेंगे ताकि मौके पर वन विभाग के अधिकारियों के समक्ष कार्य हो सके तथा खोदे जा रहे वनभूमि का Damage Control हो सके ।
- उपरोक्त लाईन राष्ट्रीय उद्यान तथा वन्य प्राणी अभ्यारण्य के बाहर सड़क के किनारे तथा मौजूदा सड़क की चौड़ाई के अंतर्गत ही बिछाई जावेगी ।
- आवेदक संस्थान उपयोग पश्चात्, उपयोग किये गये भूमि का उपयोग/रखरखाव के खर्च को वहन करने हेतु, वचनबद्ध रहेगा ।
- आवेदक संस्थान स्थानीय वन/पर्यावरण को होने वाली क्षति की पूर्ति के लिए वचनबद्ध रहेगा, अतः यथासंभव वन/पर्यावरण को संरक्षित रखेगा ।
- आवेदक संस्थान स्थानीय वनविभाग से पूर्वानुमति के बिना रखरखाव का कार्य नहीं करेगा ।
- वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए नहीं किया जायेगा ।
- वनभूमि के हस्तांतरण से पूर्व, पर्यावरणीय अनुमति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारम्परिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, २००६ सहित प्रस्तावित कार्य हेतु लागू होने वाले समस्त नियमों, विनियमों एवं दिशानिर्देशों के शर्तों का पालन किया जाएगा ।
- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) नोडल अधिकारी (वन संरक्षण अधिनियम १९८०) द्वारा प्रतिमाह की ५ तारीख के पूर्व राज्य शासन से जारी समस्त सामान्य अनुमोदन के प्रकरणों की रिपोर्ट संबंधित भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नागपुर को प्रेषित करेंगे ।

13. बिना भारत सरकार की अनुमति के वन भूमि का उपयोग बदलना वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन माना जायेगा तथा भूमि उपयोग को यदि बदलना पड़े तो इस हेतु अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) नोडल अधिकारी, भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नागपुर को निवेदन करेंगे ।
14. क्षेत्र के वनस्पति एवं वन्यजीव (Flora & Fauna)के संरक्षण/विकास हेतु समय-समय पर राज्य शासन या संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा अधिरोपित अन्य किन्हीं शर्तों के पालन हेतु आवेदन संस्थान बाध्य होगा ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) से उपरोक्त शर्तों की पूर्ति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर इस प्रकरण पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा -2 के अंतर्गत औपचारिक अनुमोदन इस विभाग द्वारा प्रदान किया जायेगा ।

जब तक यह विभाग औपचारिक अनुमोदन जारी न कर दें, अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) द्वारा उपयोगकर्ता को वन भूमि के वनेत्तर उपयोग का आदेश जारी न किया जावे ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार,



(एम.एन.सर्जुरकर)
अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग
रायपुर, दिनांक 25/05/2017

पृष्ठांकमांक / एफ-5-20/2017/10-2

प्रतिलिपि :-

- 1.अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्र), भारत सरकार,पर्यावरण वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ग्राउंड फलोर (ईस्टने विंग), न्यू सेक्रेटरियट बिल्डिंग, व्ही.सी.ए. स्टेडियम के सामने सिविल लाईन, नागपुर (महाराष्ट्र) की ओर सूचनार्थ अग्रेषित ।
- 2.मुख्य वन संरक्षक बिलासपुर वृत बिलासपुर (छ.ग.)
- 3.वन मंडलाधिकारी कोरबा वनमंडल कोरबा (छ.ग.)
- 4.आवेदनकर्ता महाप्रबंधक,रिलायंस जियो इंफोकाम लिमिटेड, चौथी मजिल 401-405 अंबुजा मॉल, विधानसभा रोड, मोवा रायपुर छत्तीसगढ़ ।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।


अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग